If English is not your first language...

If you would like to discuss this information with someone who speaks your own language, please tick the box below to show which language you speak, fill in your name, address and telephone number and return the form to the address below.

[illegible] ☐

अगर अंग्रेज़ी आपकी मातृ-भाषा नहीं है...
[illegible] ☐

Haddii Ingiriisku uusan aheyn luuqaddaada hooyo...
Haddii aad u baahantahay macluumaadkan oo af Soomaali ku qoran, fadlan calaamadi khaanadda looga talagalay, qor magacaaga, cinwaankaaga, telefoonkaaga kuna soo celi foomka cinwaanka hoos ku qoran.
[illegible] ☐

Jeżeli angielski nie jest Pana/Pani językiem ojczystym...
Jeżeli chciał(a)by Pan(i) otrzymać tę informację w języku polskim, proszę zakreślić kratkę, wpisać imię i nazwisko, adres i nr telefonu oraz przesłać formularz na adres podany poniżej.
[illegible] ☐

[illegible] ☐

[illegible] ☐

Name

Address

Post Code | Telephone

The Language statements to be returned to:
ALMO Business Support Team,
Westec House, Westgate, Ealing W5 1YY

I require a copy in: Large Print ☐ Audio Tape ☐ Braille ☐

घरेलू हिंसा

कौंसिल के किराएदारों को सलाह

Ealing
www.ealing.gov.uk

ealing domestic violence forum

Ealing Homes
quality, service and value

घरेलू हिंसा

हर वर्ष लगभग पच्चीस लाख स्त्रियों को घरेलू हिंसा का कष्ट सहन करना पड़ता है। यह हिंसा शारीरिक, मानसिक या दोनों प्रकार की हो सकती है और इसका प्रभाव हर उम्र, नस्ल और पृष्ठभूमि वाले लोगों पर पड़ता है।

आपके साथ दुर्व्यवहार करने वाला आपका साथी, भूतपूर्व साथी या परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। कौंसिल यह मानती है कि अन्य संबंधों में भी घरेलू हिंसा हो सकती है, जैसे देखरेख करने वाले और करवाने वाले के बीच में।

प्रायः बेघर हो जाने के भय से लोग इस हिंसक संबंध को त्याग नहीं सकते। परंतु याद रखें कि आप किसी और घर में जा सकती हैं, और कई प्रकार की रिहाइश में से कोई अपने लिए चुन सकती हैं –

रैफ़्यूज (आश्रय ढूंढना)

रैफ़्यूज या आश्रय देने वाले स्थान। आप अपने हाऊज़िंग आफिस या इस पर्चे में बताई संस्थाओं में से किसी से मदद ले सकती हैं।

रैफ़्यूज ऐसा सुरक्षित स्थान होता है जहाँ घरेलू हिंसा से पीड़ित स्त्रियाँ रह सकती है। यहाँ फ़ुल-टाईम काम करने वाली वर्करें बैनीफ़िट क्लेम करने, कानूनी सलाह लेने और भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में आपकी मदद करती हैं।

रैफ़्यूज का पता और टेलीफ़ोन नंबर गुप्त रखे जाते हैं, परंतु स्त्रियों के ग्रुप, पुलिस, सोशल सर्विसिज़, हाऊज़िंग अफ़सर औी सैमेरीटन्ज़ इनके साथ आपका संपर्क करवा सकते हैं।

कौंसिल के घर

आप कह सकती हैं कि आपको हिंसा वाले स्थान से कहीं दूर भेज दिया जाए। यदि आप स्त्री हैं और आपका हाऊज़िंग अफ़सर पुरुष है, तो, यदि आप चाहें तो किसी स्त्री अफ़सर से बात कर सकती हैं। आपको हमेशा पूछा जाएगा कि क्या आप ऐसा चाहती हैं।

आपका/आपकी हाऊज़िंग अफ़सर आपको पूरी सलाह दे सकेगा/सकेगी।

- वे ऐसे सोलिस्टरों को जानते हैं जो इस काम के माहिर हैं।
- वे आपका नाम स्त्रियों के किसी रैफ़्यूज में भेज सकते हैं।
- कुछ हालतों में वे आपको किसी सुरिक्षत स्थान पर भेजने का प्रबंध कर सकते हैं।
- वे ऐसी स्थानीय संस्थाओं को जानते होंगे जो कई कामों में आपकी मदद कर सकती हैं।
- कुछ हालों में वे आपके घर की अधिक सुरक्षा का प्रबंध भी करवा सकते हैं, जैसे ताले बदलना।

कानूनी समस्याएं

हो सकता है कि आपकी सुरक्षा के लिए अदालत से कोई निर्देश जारी हो जाए। इस निर्देश को इंजंक्शन कहा जाता है और आप पर हमला करने वाले को यह आपके घर के निकट आने, आपको गालियाँ निकालने और आपके साथ तथा आपके बच्चों के साथ मारपीट करने से रोकता है। प्रायः इस निर्देश के साथ गिरफ़्तार करने की व्यवस्था भी होती है, जिसका अर्थ यह है कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो पुलिस तुरंत कार्यवाई करके ऐसा करने वाले को गिरफ़्तार करेगी। इंजंक्शन स्थानीय पुलिस स्टेशन में रखे जा सकते हैं ताकि ज़रूरत होने पर पुलिस तुरंत कार्यवाई करके इसका उल्लंघन करने वाले को गिरफ़्तार कर सकते। हो सकता है कि हम घरेलू हिंसा करने वाले को उसके घर से निकालने की कोशिश भी करें।

यदि आपकी आमदन कम है, या यदि आपको कोई बैनीफ़िट मिलते हैं, तो हो सकता है कि आपको लीगल हेल्प या कानूनी मदद लेने का अधिकार हो (इसे पहले लीगल एड कहा जाता था)।

पुलिस

पुलिस के कम्युनिटी सेफ़्टी यूनिट में ख़ास अफ़सर होते हैं जो घरेलू हिंसा के केसों को संभालते हैं। घरेलू हिंसा गंभीर अपराध है। यदि आपको लगे कि पुलिस आपकी मदद कर सकती है, तो आन बिना निस्संकोच पुलिस से बात करें।

असाईलम सीकर्ज़ (पनाहगीर)

यदि हिंसा वाला घर छोड़ने के बाद आपको अपने दर्जे के बारे में चिंता है तो ऑव ज्वाइंट कौंसिल फ़ॉर द वेलफ़ेअर ऑव इम्मीग्रेंट्स (Joint Council for the Welfare of Immigrants) के साथ या हमारी असाईलम टीम के साथ बात करें, जिनका दफ़तर टाऊन हाल के पीछे वाली बस्ती में है।

काम आने वाले नंबर

- **ईस्टर्न एरिया आफ़िस**
  फ़ोन: 020 8825 8822
- **वैस्टर्न एरिया आफ़िस**
  फ़ोन: 020 8825 8833
- **रिपेअर लिंक**
  फ़ोन: 020 8825 8844
- **लोकल पुलिस**
  फ़ोन: 020 8810 1212
- **ऐन्वारनमेंटल हेल्थ**
  फ़ोन: 020 8825 6633
- **ईलिंग आई ऐम ऐस**
  (मीडिएशन सर्विस)
  फ़ोन: 0208 575 9500
- **ईलिंग डोमैस्टिक वाइओलेंस ऐड्वोकेसी यूनिट**
  फ़ोन: 0208 840 4845
- **ईलिंग डोमैस्टिक वाइओलेंस को-आर्डीनेटर**
  फ़ोन: 0208 825 6426
- **ईलिंग पुलिस सी ऐस यू**
  फ़ोन: 0208 246 9617

घरेलू हिंसा

- **साऊथहाल ब्लैक सिस्टर्ज़**
  फ़ोन: 020 8571 9595
- **विमेन्ज़ ऐड**
  फ़ोन: 0845 702 3468
- **नेश्नल डोमैस्टिक वाइओलेंस हेल्पलाईन**
  फ़ोन: 0808 2000 247

मुसीबत के समय नंबर 999 पर फ़ोन करें।